न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— श्री राम सिंह राजावत(आर.ए.एस.)
जी सी एम एस न0 :—2020 / 00218
मुकदमा नम्बरः— 97 / 2020

दर्ज दिनांक 13.07.2020
निर्णय दिनांक 13.02.2023

मातुप्रसाद पुत्र रामेश्वर जाति जांगिड़ उम्र 70 वर्ष, निवासी गुढ़ागौड़जी तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं। वादी

बनाम

तहसीलदार, तहसील गुढ़ागौड़जी, जिला झुन्झुनूं। प्रतिवादी

वादपत्र बाबत् उद्घोषणार्थ

निर्णय दिनांकः—13.02.2023

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता दावा बाबत घोषणार्थ एवं विभाजन इस आशय का पेश किया कि ग्राम टोडी तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा न. पुराना 363 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा जिसके नये खसरा न. 736 रकबा 0.28 है0 अवस्थित है। वादपत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार हीरा पुत्र पन्ना जाति चमार निवासी ग्राम गुढागौड़जी है, उपरोक्त हीरा का देहान्त सन् 1964 के अन्तिम माह में हो चुका है, उक्त हीरा के कोई जायन्दा पुत्र अथवा पुत्री सन्तान नहीं है, ना ही निकटतम वारिसान में कोई जीवित है। स्वर्गीय हीरा अपने जीवनकाल में विदेश रहकर नौकरी करता था तथा एक दो बार ही गुढ़ा आया था। प्रथम बन्दोबसत के पूर्व से ही वादी के पूर्वज स्वर्गीय रामेश्वरलाल की एक खुड्डी बनाई गई थी, जिसके ध्वस्त होने पर उसमें पुख्ता रहवासी मकान बना लिये थे तथा वह मयपरिवार उसमें आबाद रहा था, क्योंकि प्रथम बन्दोबसत कार्यवाही के समय उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड स्वर्गीय हीरा पुत्र पन्ना के नाम से बन गया था जबकि उपरोक्त हीरा ने संवत् 2012 से लेकर अपनी मृत्यु तक कभी काश्त किया था और ना ही लगान ही जमा करवाया था, ना ही उसका कब्जा था जिस बाबत् गलत राजस्व रिकॉर्ड का इल्म होने पर उपरोक्त स्वर्गीय हीरा पुत्र पन्ना ने पटवारी हल्का से अर्ज किया कि प्रस्तुत भूमि को वादी के पिता रामेश्वर पुत्र बल्बाराम जांगिड़ काश्त करता है, जो गलती से मेरे नाम है, जिस पर पटवारी ने जवाब दिया कि जब तक स्वग्रीय हीरा अपना नाम तहसील में प्रार्थना पत्र देकर नाम नहीं कटवाएगा तब तक रिकॉर्ड रामेश्वर के नाम नहीं होगा, जिस पर स्वर्गीय हीरा ने उपपंजियक उदयपुरवाटी के यहां हाजिर होकर दिनांक 25.01.1964 को एक हज्बनामा श्री द्वारकाप्रसाद पीटिशन राईटर की कलम से 3 रुपये के स्टा[illegible]इप पेपर पर लिखवाकर उपपंजीयक उदयपुरवाटी से तस्दीक करवा[illegible] रजिस्टर्ड है, वादी के पिता ने उसकी प्रति पटवार हल्का को [illegible] वादी व वादी के पिता ने [illegible] सोचकर की उसका राजस्व रिकॉर्ड में अंकन स्वतः ही [illegible] इसलिए आगे जानकारी नहीं की, ना ही वादी व वादी के पिता के स्वत्व व कब्जे को प्रतिवादी व अन्य किसी व्यक्ति

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:59:32 IST
Reason: SelfAttested

ने किसी ने कोई चुनौती दी है लेकिन वादी व उसके पिता ने इस बाबत् लगान वगैरह प्रतिवादी को नियमित रूप से अदा किया है तथा प्रतिवादी ने लगान स्वीकार करके वादी का कब्जा व स्वत्व स्वीकार किया है। वादी उक्त भूमि की किस्म परिवर्तित करवाने के लिए आवश्यक कागजात हेतु दिनांक 25.02.2020 को पटवारी हल्का के पास गया तो उसके द्वारा गलत रिकॉर्ड बाबत जानकारी वादी को दी गई जिस पर वादी ने उक्त हज्फनामे की असल प्रति पटवारी हल्का व प्रतिवादी को देकर वास्तविक स्थिति बतलाई, जिन्होंने माननीय न्यायालय के जरिये वाद पत्र पेश करके राजस्व रिकार्ड दुरूरस्ती बाबत निर्देशित किया, अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम टोडी की सरहद में भूमि खसरा न0 363 रकबा 2 बिघा 2 बिस्वा जिसके नये खसरा न0 736 रकबा 0.28 है0 का वादी खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हेतु प्रतिवादी को आदेशित किया जाना प्रार्थनीय, है वादपत्र दर्ज किया जाकर प्रतिवादी की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

प्रतिवादी ने पत्रावली की आदेशिका में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र में वर्णित भूमि हीरा पुत्र पन्ना जाति मेघवाल के नाम दर्ज रिकार्ड है उक्त खातेदार अनुसुचित जाति का सदस्य है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 की तहत अनुसूचित जाति के सदस्य की भूमि पर गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम खातेदारी अधिकार प्रोदभूमि नही किये जा सकते है तथा ना ही इस प्रकार को कोई अंतकरण किया जा सकता अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि वादी गैर अनुसूचित जाति का सदस्य होने के कारण वादपत्र. खारिज किया जाना प्रार्थनीय है ।

मातुराम पुत्र रामेश्वर जाति जागिड ने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया।

बहस वाद पत्र पर श्रवण कि गई । बहस में वकिल वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया तथा कथन किया कि वादपत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार हीरा पुत्र पन्ना जाति चमार निवासी ग्राम गुढागौड़जी है, उपरोक्त हीरा का देहान्त सन् 1964 के अन्तिम माह में हो चुका है, उक्त हीरा के कोई जायन्दा पुत्र अथवा पुत्री सन्तान नहीं है, ना ही निकटतम वारिसान में कोई जीवित है। स्वर्गीय हीरा अपने जीवनकाल में विदेश रहकर नौकरी करता था तथा एक दो बार ही गुढ़ा आया था। प्रथम बन्दोबसत कार्यवाही के समय उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड स्वर्गीय हीरा पुत्र पन्ना के नाम से बन गया था जबकि उपरोक्त हीरा ने संवत् 2012 से लेकर अपनी मृत्यु तक कभी काश्त किया था और ना ही लगान ही जमा करवाया था, ना ही उसका कब्जा था जिस बाबत् गलत राजस्व रिकॉर्ड का इल्म होने पर उपरोक्त स्वर्गीय हीरा पुत्र पन्ना ने पटवारी हल्का से अर्ज किया कि प्रस्तुत भूमि को वादी के पिता रामेश्वर पुत्र बल्बाराम जांगिड़ काश्त करता है, जो गलती से मेरे नाम ह । उक्त भूमि का लगान वगैरह भी वादी के पिता ही जमा करवाते थे तथा वादी के पिता का ही कब्जा काश्त था और है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड गलत [illegible] दुरूरस्त किया जाना प्रार्थनीय है। बहस में प्रतिवादी ने कथन किया कि उक्त [illegible] का कोई अनुसूचित जाति के सदस्य के नाम है जिसको गैर अनुसूचित जाति के सदस्य के [illegible] अन्तकरण नही किया जा सकता अत वादी का वादपत्र खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:59:32 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस, पर मनन किया गया। वाद पत्र में वर्णित भूमि का रिकार्डेड खातेदार हीरा पुत्र पन्ना जाति मेघवाल है जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के तहत अनुसूचित जाति के सदस्य की भूमि पर गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के अधिकार प्रोदभूत नही किये जा सकते तथा ना ही इस प्रकार को कोई अतंकरण किया जा सकता है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व उक्त विवेचना से वादी का वाद पत्र खारिज किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

वादी का वादपत्र साबित नही होने से खारिज किया जाता है।

13/2/23
उपखण्ड अधिकारी
(रामसिंह राजावत)
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 13.02.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/2/23
उपखण्ड अधिकारी
(रामसिंह राजावत)
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:59:32 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आदेश 02 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– श्री राम सिंह राजावत(आर.ए.एस.)
जी सी एम एस न0 :–2020/00218
मुकदमा नम्बरः– 97/2020

दर्ज दिनांक 13.07.2020
निर्णय दिनांक 13.02.2023

मातुप्रसाद बनाम तहसीलदार
दावा घोषणार्थ

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ब हाजिरी उभयपक्षकारान के डिक्री दी जाती है।

वादी का वादपत्र साबित नही होने से खारिज किया जाता है।

.निज..–.....–..... मुबलिक –.....–..... दाबन.–.....–.....
.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह –..... फीसदी आज की तारीख से तारीख अदायगी तक –.....–..... का अदा करे।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 माह 02 सन 2023 को जारी की गई।

13/2/23
(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:59:32 IST
Reason: SelfAttested